





# फर्द अहकाम

बनाम

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16 <sup>5</sup> / <sub>18</sub>	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार कैम्प दूधली में पेश हुई। प्राची व अपाधीगण उपस्थित जिनकी पहचान ग्राम पंचायत संयुक्त दूधली ने ही है। प्राची का मुलवाद विद्रो हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र को भागे चलाया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्राची का प्रार्थना पत्र अस्थायी विषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 04.8.16 की जारी स्थगन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से ऊज हो।</p> <p>आज दिनांक 16.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट दूधली में मजिस्ट्रेट आग्र में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">3rd 16.5.18</p> <p>सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर</p>	 <p>नि- जयना</p> <p>जीताशर</p> <p>श्रीशिव</p>  <p>नि- गोकुल</p> <p>जयनाशर</p>  <p>नि- गौविन्दा</p>  <p>नि- प्रमोती</p> <p>श्रीदेवी सरपंच ग्राम पंचायत दूधली पं.स. बस्सी (जयपुर)</p>